न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **51/2018** दायर दिनाँक **16.02.2018**

वादी		प्रतिवादी
1. नारायणदास पुत्र तुलछीदास जाति जाट निवासी गाढा बास डीडवाना तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री हीरसिंह बलारा वकील वादी।
2. तहसीलदार डीडवाना प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **12.08.2021**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा खेत खसरा सं0 101 रकबा 39.17 बीघा, खसरा सं0 104 रकबा 27.06 बीघा, खसरा सं0 102 रकबा 0.06 बीघा, खसरा सं0 103 रकबा 0.09 बीघा वाके एलिचपुरा स्थित है। जिसकी वर्तमान खातेदारी मन्दिर श्री रूघनाथजी महाराज गाढा बास डीडवाना के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जमाबन्दी नकल वाद के साथ पेश है। उक्त खेतों की खातेदार राज0 मारवाड संवत 1991 की जमाबन्दी में खातेदारी रूघनाथदास की रही है तथा रूघनाथदास के स्वर्गवास के बाद उसके चेला जयरामदास ने गदी संभाली तथा उसी दोरान उक्त खेत की खातेदारी गलती से परमानन्द के नाम करवाली गयी लेकिन रूघनाथदास के चेला जयनारायणदास ने सहायक भु राजस्व अधिकारी डीडवाना के न्यायालय में परमानन्द की खातेदारी खारिज बाबत वाद पेश किया, जिसमें जरिये मिसल संख्या 1221/62 दिनांक 27.12.1962 के आदेश श्रीमान सहायक भु राजस्व अधिकारी डीडवाना ने परमानन्द की खातेदारी खारिज कर जयरामदास को खातेदार घोषित कर दिया गया तथा संवत 2017 व जमाबन्दी राज मारवाड संवत 1991 की नकले वाद के साथ पेश है।

जयरामदास के स्वर्गवास के बाद उसकी गदी तुलसीदास ने संभाली तथा उक्त खेतों की खातेदारी तुलसीदास के नाम से रेकर्ड में दर्ज हो गई। जिसका उल्लेख जमाबन्दी संवत 2035–2038 ... तुलसीदास के बाद उसकी गदी वादी नारायणदास ... खेत में अबाध रूप से काश्त करता रहा है लेकिन ... की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:11:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी नारायणदास के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज न होकर मन्दिर श्री रूघनाथ महाराज गाढाबास डीडवाना पुजारी नारायणदास चेला तुलसीदास भण्डारी निवासी डीडवाना दर्ज हो गई। जिसका उल्लेख जमाबन्दी संवत 2048–2051 में है। जबकि इससे पहले जमाबंदी संवत 2024–2027 में खातेदारी वादी नारायणदास के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। नकल जमाबन्दी वाद के साथ पेश है।

सैकडों वर्ष पूर्व ही रूघनाथदास ने उक्त खेतों में एक कुआं बनाया तथा रहवास के लिये एक मकान बनाया था जिसमें निवास करता था तथा कुऐं से पानी पीने के काम में लेते रहे है। कुआं का खसरा सं0 102 रकबा 0.06 बीघा व आबादी का खसरा सं0 103 रकबा 0.09 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जहां पर स्वयं ने अपना एक छोटा सा मन्दिर बनाकर पुजा करता था तथा एक के बाद एक की मृत्यु के बाद खातेदारी दर्ज होती रही है। लेकिन संवत 2048 में उक्त खेतों की खातेदारी में से वादी का नाम हटाया जाकर मन्दिर रूघनाथ के नाम से गलती से दर्ज कर दी, जबकि खसरा सं0 101 व 104 कभी भी मन्दिर की जमीन नहीं रही है। मन्दिर की जमीन होती तो शुरू में ही मन्दिर के नाम से खातेदारी दर्ज हो जाती। इतना ही नहीं उक्त खेतों की खातेदारी श्रीमान भु–राजस्व अधिकारी डीडवाना के आदेशानुसार 1962 में हुई थी। इसलिए उसके बाद वादी का नाम हटाया जाकर मन्दिर के नाम से खातेदारी की जाना गैर कानूनी है।

वादी करीब 90 वर्ष का व्यक्ति है जो पिछले 50 वर्षो से खेत खसरा सं0 101 रकबा 39.17 बीघा व खसरा सं0 104 रकबा 27.06 बीघा वाके एलिचपुरा में काश्त अबाध रूप से करता/करवाता आया है तथा हर वर्ष खेत के चारों तरफ बाड करता आया है तथा इन खेतों में स्थित कुआं व आबादी में बना मकान जीर्ण–शिर्ण अवस्था में है। जिसमें छोटा सा मन्दिर है जिसकी खातेदारी यथावत रहेगी।

प्रार्थना वादी है कि :–

यह घोषण की जावें कि खेत खसरा सं0 101 रकबा 39.17 बीघा व खसरा सं0 104 रकबा 27.06 बीघा कुल रकबा 67.03 बीाा वाके सरहद एलिचपुरा की खातेदारी वादी की है तथा उक्त खेतों की खातेदारी में गलत अंकन मन्दिर श्री रूघनाथजी महाराज गाढा बास हटाया जाकर वादी की खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जावें। इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की जावें।

वादी का वाद दर्ज कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार डीडवाना ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि संवत 2022 की सेटलमेन्ट के अनुसार उक्त खसरान की खातेदारी जयरामदास चेला रघुनाथदास कौम साद सा0 डीडवाना के नाम दर्ज है। सेटलमेन्ट संवत 2022 मिसल बन्दोबस्त के अनुसार उक्त खसरान मन्दिर के नाम दर्ज नहीं है। गिरदावरी संवत 2018 में रघुनाथदा[illegible] डीडवाना डोलीदार जिसमें काश्त जयरामदास की की हुई है। उ[illegible] खसरा[illegible] की खातेदारी जरिये नामा0 संख्या 48 के द्वारा [illegible] महाराज गाढाबास डीडवाना पुजारी श्री [illegible]दास भण्डार सा0 डीडवाना बाढाबास के नाम दर्ज हुआ है। राज्य सरका[illegible] आदेशानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:11:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

खातेदारी मन्दिर श्री रूगनाथ जी महाराज गाढाबास डीडवाना के नाम दर्ज हुई है।

साक्ष्य वादी में नारायणदास, नाथुराम, सरदारसिंह के शपथ पत्र पेश हुए।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने बहसमें निवेदन किया कि यह घोषण की जावें कि खेत खसरा सं0 101 रकबा 39.17 बीघा व खसरा सं0 104 रकबा 27.06 बीघा कुल रकबा 67.03 बीाा वाके सरहद एलिचपुरा की खातेदारी वादी की है तथा उक्त खेतों की खातेदारी में गलत अंकन मन्दिर श्री रूघनाथजी महाराज गाढा बास हटाया जाकर वादी की खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जावें। इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की जावें।

तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। संवत 1991 की जमाबंदी में खातेदारी रूघनाथदास की थी। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि संवत 2017 में भी रूघनाथदास का नाम है। संवत 2016–19, 2024–2027 में भी खातेदारी रूघनाथदास की है। इसके पश्चात चेला जयरामदास ने गद्दी संभाली। संवत 2017 के सेटलमेन्ट विभाग के पट्टा में भी रूघनाथदास का चेला जयरामदास का नाम दर्ज है। इस पट्टा मिसल नं0 1221/62 दिनांक 26.12.1962 के आदेश ए0आर0ओ0 सा0 बाद जांच के परमानन्द का नाम खारिज किया जाकर जयरामदास की खातेदारी खसरा सं0 101 से 104 तक में दिनांक 27.12.1962 को ए आर ओ डीडवाना ने परमानन्द का नाम खारिज कर जयरामदास के नाम खातेदारी का आदेश दिया। जमाबन्दी संवत 2024–2026 में भी जयरामदास का नाम है। खातेदारी जमाबन्दी संवत 2035–2038 में चेला तुलसीदास ने गद्दी संभाली। तुलसी के स्वर्गवास के पश्चात गद्दी नारायणदास ने संभाली। लेकिन खातेदारी में नारायणदास के नाम से खातेदारी की बजाय गलत अंकन मन्दिर श्री रूघनाथ महाराज गाढाबास डीडवाना पुजारी नारायणदास चेला तुलसीदास भण्डारी जमाबन्दी सं0त 2048 से 2050 में दर्ज कर दिया। नारायणदास चेला तुलसीदास का है। संवत 1991 से लेकर संवत 2017 में भी रूघनाथदास की खातेदारी रही है तथा उसके बाद दिनांक 27.12.1962 में न्यायालय द्वारा खातेदारी जयरामदास के नाम से कर दी और खातेदारी दर्ज हो गई। जयरामदास की मृत्यु के बाद उसके चेला तुलसीदास के नाम से खातेदारी संवत 2035–2038 की जमाबन्दी में दर्ज है लेकिन तुलसीदास के चेला नारायणदास के नाम से कानूनन खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन नारायणदास को मन्दिर श्री रूघनाथ महाराज का पुजारी बताते हुए गलत अंकन कर दिया गया। लबकि पिछले 70 वर्षो से अर्थात संवत 2017 से रूघनाथदास के नाम रही है। गलती से रूघनाथदास को महाराज मान लिया गया। साक्ष्य वादी में नारायणदास, नाथुराम, सरदारसिंह के बयानों से भी स्पष्ट है कि उक्त जायगा पर नारायणदास का ही कब्जा काश्त है।

अतः वाद कानूनन डिक्री योग्य है। मन्दिर की जमीन कभी नहीं रही पिछले 70 वर्षो से अधिक समय से [illegible] रही है जो गिरदावरियों में दर्ज है। 1962 में न्यायालय द्वारा [illegible] चुकी है फिर 60 वर्ष बाद रूघना[illegible] कार्रवाई गलत व गैर कानूनी है। रूघनाथ [illegible] गलती से रूघनाथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:11:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

जी का मन्दिर लिख दिया क्योंकि पुजारी ने खेत में छोटा सा मन्दिर रूघनाथजी महाराज का बना रखा है। जिसमें शाम–सुबह अगरबती करता है।

अतः तर्को पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः हस्व दावा स्वीकार कर वाके सरहद एलिचपुरा के खसरा सं0 101 रकबा 39.17 बीघा व खसरा सं0 104 रकबा 27.06 बीघा कुल रकबा 67.03 बीघा का वादी को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **12.08..2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:11:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **51/2018** दायर दिनाँक **16.02.2018**

वादी		प्रतिवादी
1. नारायणदास पुत्र तुलछीदास जाति जाट निवासी गाढा बास डीडवाना तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा, एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act.

दिनाँक **12.08.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा वकील वादी व तहसीलदार डीडवाना प्रतिवादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा मौजा सरहद एलिचपुरा के खसरा सं0 101 रकबा 39.17 बीघा व खसरा सं0 104 रकबा 27.06 बीघा कुल रकबा 67.03 बीघा का वादी को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।
नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **12.08.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर ... का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:11:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner